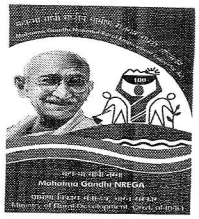
महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य चयन हेतु निर्मित पैनल पर आमजन से आपत्ति आमंत्रण हेतु सूचना



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी Instruction on Ombudsman (as revised on 16-01-2016) में दिये गये निर्देश के परिपालन में लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के चयन हेतु राज्यस्तरीय चयन समिति की बैठक, दिनांक–18/09/2017 को अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में मंत्रालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) में सम्पन्न हुई।

Instruction on Ombudsman (as revised on 16-01-2014) के मापदण्डों के आधार पर चयन समिति द्वारा अनुभव क्षेत्रवार प्राप्त आवेदनों का विस्तृत परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार **सिविल सेवा क्षेत्र तथा अकादमिक क्षेत्र** हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थी/पैनल अनुशंसित किया गया है :–

1) सिविल सेवा क्षेत्र :–

क्र.	नाम	पिता का नाम	अनुभव का क्षेत्र	रिमार्क
1	श्री अघोरी राम बघेल	स्व. श्री मनमोहन लाल बघेल	सिविल सेवा	एकल आवेदन

2) अकादमिक क्षेत्र :–

क्र.	नाम	पिता का नाम	अनुभव का क्षेत्र	वरीयता क्रम
1	श्री दरसूराम मनहर	स्व. श्री ननकीराम महनर	अकादमिक	प्रथम
2	श्री अशोकरत्न जायसवाल	श्री पी.आर. जायसवाल	अकादमिक	द्वितीय

उपरोक्तानुसार उल्लेखित अनुभव क्षेत्रवार पैनल में उल्लेखित अभ्यर्थियों के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो **दिनांक–23.09.2017 तक** आवश्यक प्रमाण–पत्र/दस्तावेज/साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भू–तल, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं साक्ष्य विहीन आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आपत्तियों पर समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

20/09/17

(पी.सी.मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग